

सेवा राम  
मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं मूल्या0)

अ0शा0प्र0 /अनु0 एवं मूल्या0/सिंचिका- 15/सिंचा0मंडल/11/22

संख्या 459 / सिंचिका-15/सिंचा0मंडल/11/22  
दिनांक 27/1/22

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लाखनऊ

लखनऊ: दिनांक: 27/1/22

**विषय:-** रबी-1429 फसली वर्ष 2021-2022 में सिल्ट सफाई सत्यापन के संबंध में ।

**सन्दर्भ:-** 1. शासनादेश संख्या-960/12-27-सिं-4-46(इब्लू)/12, दिनांक 08 मई 2012  
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय का ज्ञाप संख्या 492, दिनांक 11.11.2021

**महोदय,**

अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय के कार्यालय ज्ञाप का अन्तर्गत विषयके द्वारा आपकी रबी 1429 फसली वर्ष 2021-22 में नहरों की सिल्ट सफाई के स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन हेतु समिति की सदस्यताएं टीम बनाकर उपलब्ध नामित किया गया है। सत्यापन टीम द्वारा की गयी आख्या समयबद्ध एवं अनिवार्य है। उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में दी गयी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना अति आवश्यक है।

आपको बिन्दु सं0-6 के द्वारा अपनी-अपनी सत्यापन आख्याएं दिनांक 31.12.2021 तक शासनादेश कार्यालय को प्रेषित करे हुए ई-मेल पर भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जानी है परन्तु दिनांक 24.01.2022 तक निम्नलिखित टीमों के अध्यक्षों द्वारा उपरोक्त आख्याएं इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है जो निम्नानुसार है:-

सर्वश्री		
1	अधीक्षण अभियन्ता, मूल्य नियंत्रण प्रकोष्ठ, का0प्र0अ0, लखनऊ (अध्यक्ष टीम सं0-2, डूनेज मंडल, अलीगढ़ हेतु)	8
2	अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मंडल-2, लखनऊ (अध्यक्ष टीम सं0-10, सिंचाई कार्य मंडल, कामपुर हेतु)	9
3	अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, का0प्र0अ0, लखनऊ (अध्यक्ष टीम सं0-14, सिंचाई कार्य मंडल, सीतापुर हेतु)	10
4	अधी0 अभि0, अनु0 एवं नियो0, (जलसंसाधन) मंडल, मेरठ (अध्यक्ष टीम सं0-17, द्वादशम मंडल सिंचाई कार्य, लाखनऊ हेतु)	11
5	वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, (अधिष्ठान-5), का0प्र0अ0, लखनऊ (अध्यक्ष टीम सं0-18, चतुर्दशम मंडल सिंचाई कार्य, आजमगढ़ हेतु)	12
6	अधी0 अभियन्ता, एकादशम मंडल सिंचाई कार्य, अयोध्या (अध्यक्ष टीम सं0-20, अष्टदशम मंडल सिंचाई कार्य, प्रयागराज हेतु)	13
7	अधी0 अभि0, अनु0 एवं नियो0 मंडल-4, लखनऊ (अध्यक्ष टीम सं0-21, चतुर्थ मंडल सिंचाई कार्य, झांसी हेतु)	14

अतः प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर अपनी-अपनी सत्यापन आख्या कार्यालय को प्रेषित करे तथा आपकी ई-मेल पर ई-मेल भी कर दे ताकि सूचनाएं संकलित कर मा0 मंत्री जी को प्रस्तुत की जा सके। दिनांक 27.01.2022 तक भी सत्यापन आख्या न करने वाली समिति के सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपरिहार्य होगा।

भवदीय

(सेवा राम)

पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, अनुभाग-4, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० एवं समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ताकि कार्य ससमय पूर्ण कराया जा सके।
5. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित है कि कार्यालय ज्ञाप को विभागीय वेबसाइट [www.idup.gov.in](http://www.idup.gov.in) पर अनिवार्य रूप से शीघ्रतिथीप्र अपलोड कराने का कष्ट करें।

(सेवा राम)

मुख्य अभियन्ता (अनु० एवं मूल्यां०)

श्रीरत साहिवा, क-31A

25/1/22